भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3492

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए ऋण सुविधाएं

3492. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, दंगे आदि के पीड़ितों को बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहायता ऋणों का दायरा बढ़ाया जाने के दृष्टिगत 1984 में जारी सामान्य दिशानिर्देशों को 1989 में संशोधित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित राज्यों में आज तक कितने व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या दिसम्बर, 2004 में आए भीषण समुद्री भूकंप से प्रभावित व्यक्तियों को और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावित राज्यों के वित्तीय संस्थानों को कोई नए निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): आरबीआई ने प्राकृतिक आपदाओं अर्थात बाढ़, सूखा, चक्रवात इत्यादि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय प्रदान करने हेतु बैंकों के लिए वर्ष 1984 में दिशानिर्देश जारी किए थे। उक्त दिशानिर्देशों की परिधि में वर्ष 1989 में मछुआरे भी कवर किए गए। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने 30 दिसम्बर, 2004 के परिपत्र के माध्यम से सुनामी से प्रभावित लोगों के सामान्य उपयोग हेतु उपभोग ऋण की राशि में वृद्धि की।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए गए राहत उपायों के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों को समेकित किया गया और इसे 17 अक्तूबर, 2018 को जारी किया गया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आस्ति वर्गीकरण और नए ऋण को स्वीकृत करने में डाउनग्रेड किए बिना ऋण को पुनर्संरचित करने का उपबंध है। उक्त समेकित दिशानिर्देशों के अंतर्गत चक्रवात, सूखा, भूकंप, आगजनी, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल का फटना, कीटों का प्रकोप और शीतपात/पाला को प्राकृतिक आपदा माना गया है।

जैसा कि आरबीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है मार्च 2020 से जून 2025 के दौरान विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए लगभग 7.84 लाख ऋण खाते को पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित किया गया था और लगभग 13.60 लाख नए ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए थे।

*****